राजस्व आवेदन संख्या 75/2026
उनवान– दयाराम वगैरा बनाम तहसीलदार सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस)

राजस्व आवेदन सं. 75/2026

अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थी
1. दयाराम पुत्र रामकिशन 2. भागीरथ पुत्र आईदान राम 3. रामनारायण पुत्र आईदान राम 4. पवनी पत्नी लाधुराम जाति बिश्नोई निवासी भंवार तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।		1. तहसीलदार सेड़वा

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता

प्रार्थीगण अधिवक्ता –श्री श्रीराम विश्नोई

–: निर्णय :–

दिनांकः– 13/05/2026

प्रार्थीगण दयाराम पुत्र रामकिशन जाति बिश्नोई निवासी भंवार तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर वगैरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि ''प्रार्थीगण का खातेदारी का खेत मौजा विवेकानन्द नगर पटवार क्षेत्र अरटी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अरटी तहसील सेड़वा खसरा संख्या 774/553 रकबा 1–5945 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम का आया हुआ है। नकल वर्तमान जमाबंदी की प्रति साथ संलग्न है। प्रार्थीगण का खेत 774/553 रकबा 1–5945 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में से प्रार्थीगण द्वारा आपसी सहमति से 0–0647 हैक्टेयर (0–08 बीघा) भूमि का रास्ते हेतु राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण किया गया था । वर्तमान समर्पण भूमि खसरा संख्या 831/774 रकबा 0–0647 हैक्टेयर अभी राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण आपसी सहमति से उक्त भूमि का रास्ते हेतु समर्पण करते समय हल्का पटवारी अरटी को मुख्य सड़क के खसरा संख्या 554/285 के पा[illegible] समर्पण करने का नक्शा तैयार

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:47:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

करने को कहा गया लेकिन हल्का पटवारी ने भूल वश खसरा संख्या 774/553 के बीच में नक्शा बनाकर प्रस्तुत कर भूमि का समर्पण राज्य सरकार के पक्ष में करवा दिया। जिसका ज्ञान प्रार्थीगण को नहीं हुआ। उक्त आवेदन पत्र के जरिए प्रार्थीगण अपने खेत में समर्पण भूमि की तरमीम अपने खसरा में 554/285 के पास–पास दुरस्त करवाना चाहते है जिस हेतु यह यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। आवेदन के साथ संलग्न परिशिष्ट "अ'' में जो भूमि बरंग लाल के रूप में दर्शाई गई है वहां पर तरमीम की जानी है यानि परिशिष्ट "अ'' के अनुसार प्रार्थीगण तरमीम दुरस्त करवाना चाहते है जिस हेतू आवेदन वास्ते तरमीम दुरस्ती का प्रस्तुत है। परिशिष्ट "अ'' को आवेदन का अभिन्न अंग समझा जावे। अतः श्रीमानजी के समक्ष तरमीम दुरस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा विवेकानन्द नगर पटवार क्षेत्र अरटी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अरटी तहसील सेड़वा खसरा संख्या 774/553 रकबा 1–5945 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम एवं समर्पण खसरा संख्या 831/774 रकबा 0/0647 हैक्टेयर की नक्शा में पूर्व में की गई तरमीम को खारिज कर सलंग्न नक्शे में दर्शाए अनुसार दुरुस्त करवाने का आदेश फरमाया जावें।''

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार सेड़वा से न्यायालय के आदेश क्रमांक कोर्ट/2026/135 दिनांक 16.03.2026 द्वारा तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन के लिए लिखा गया। कार्यालय तहसीलदार सेड़वा के पत्रांकः भू.अ./2026/40 दिनांक 08.04.2026 द्वारा न्यायालय को तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन " **दिनांक 07.04.2026 को मौका मुआयना किया गया। ग्राम विवेकानंद दके खसरा संख्या 774/553 रकबा 1–5945 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि दयाराम वगैरा तथा खसरा संख्या 831/774 रकबा 0–0647 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम राजस्थान सरकार के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त खातेदारी खसरा संख्या 774/553 पूर्व में गंगाराम पुत्र भारूराम ने खदीददार दयाराम पुत्र रामकिशन 1/4 [illegible] लाधुराम 1/4 भागीरथ पुत्र**

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:47:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

राजस्व आवेदन संख्या 75/2026
उनवान– दयाराम वगैरा बनाम तहसीलदार सेड़वा

आईदानराम 1/4 हिस्सा, रामनारायण पुत्र आईदानराम 1/4 हिस्सा कौम विश्नोई के नाम विक्रय की गई, जिसका राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किया गया। वर्तमान में उक्त आराजी भूमि के खातेदारी आपसी सहमति से समर्पित भूमि की तरमीम दुरुस्त करवाना चाहते है। समर्पित भूमि की वर्तमान तरमीम व प्रस्तावित तरमीम को परिशिष्ट ''अ'' व ''ब'' के रूप में दर्शित किया गया है। उक्त परिशिष्ट 'ब' अनुसार खातेदारों ने सहमति प्रदान की है। फर्द मौका मौके पर तैयार कर उपस्थित मौतबरान के हस्ताक्षर करवाए गए।''

प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर प्रार्थीगर्ण अधिवक्ता ने बहस की। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस में तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त मौका रिपोर्ट को स्वीकार किया है। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थचित्त से मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिन्तन, मनन तथा विचारण उपरांत, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 75/2026 उनवान दयाराम वगैरा बनाम तहसीलदार सेड़वा अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन अनुसार तहसील सेड़वा के पटवार मण्डल अरटी के ग्राम विवेकानन्द नगर के खाता संख्या नया 171 के खसरा नम्बर 774/553 रकबा 1–5945 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम व खाता संख्या नया 1 के खसरा संख्या 831/774 रकबा 0–0647 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि की तरमीम तहसीलदार सेड़वा द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 07.04.2026 के संलग्न दर्शित परिशिष्ट ''ब'' अनुसार प्रस्तावित तरमीम दुरुस्त किया जाना उचित है। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, तथ्यों तथा तहसीलदार सेड़वा के तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन पर युक्तियुक्त विचारण के उपरांत जांच प्रतिवेदन में दर्शित नक्शे परिशिष्ट 'ब' अनुसार **राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरुस्त करने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार**

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:47:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन (पत्रांकः भू.अ./2026/40 दिनांक 08.04.2026 के संलग्न मौका जांच प्रतिवेदन दिनांक 07.04.2026, खसरा नक्शा, परिशिष्ट 'ब' व जमाबंदी अभिलेख आदि) निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि वह तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें। तहरीर जारी हो। पत्रावली संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/05/2026 को खुले इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

(बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:47:43 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत करें

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा जिला बाड़मेर

क्रमांक / भू.अ. / 2026 / 40

दिनांकः– 08/04/2026

राजस्व

13/05/2026

प्रेषितीः–

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
सेड़वा, बाड़मेर।

विषयः– राजस्व वाद संख्या 75 / 2026 अनवान दयाराम वगैरा बनाम तहसीलदार सेड़वा अन्तर्गत आरएलआर धारा 131, 136 में तरमीम दुरस्ती रिपोर्ट भेजने बाबत्।

प्रसंग– श्रीमान के पत्रांक / कोर्ट / 2026 / 135 दिनांक 16.03.2026 के सदंर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि श्रीमान के न्यायालय वाद संख्या 75 / 2026 अनवान दयाराम वगैरा बनाम तहसीलदार सेड़वा अन्तर्गत आरएलआर 131, 136 में तरमीम दुरस्ती के संबंध में राजस्व ग्राम विवेकानन्द्र नगर के खसरा संख्या 831 / 774 रकबा 0.0647 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट भू.अ. निरीक्षक अरटी एवं हल्का पटवारी अरटी द्वारा दिनांक 07.04.2026 को मौका जांचकर वादी प्रतिवादी व पड़ोसियों मोतबरानों, खातेदार के रूबरू जांच रिर्पोट तैयार की गई। जो पत्र के सलंग्न अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुशंसा सहित भिजवाई जा रही है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:47:43 IST
Reason: SelfAttested

प्रथम कॉपी

मौका फर्द

आज दिनांक 07/04/2026 को श्रीमान तहसीलदार महोदय सेडवा के आदेश
क्रमांक/भूअ/819-820 दिनांक 23/03/26 एवं माननीय न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी सेड़वा के राजस्व वाद सं. 75/2026 उनवान दयाराम गौरा बनाम
तहसीलदार सेड़वा अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act मे तरमीम दुरुस्ती की
मौका/तरमीम रिपोर्ट तैयार करने हल्का पटवारी अरटी के साथ मौके पर
आये। ग्राम वि विवेकानन्द के खसरा सं. 774/553 रकबा 1.5945
है० किस्म बा० खा० भूमि दयाराम गौरा तथा खसरा सं. 831/774 रकबा
0.0647 है० किस्म बा० खा० राजस्थान सरकार के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है।
उपरोक्त खातेदारी खसरा सं. 774/553 पूर्व में गंगाराम पुत्र भाकराराम
कौम विश्नोई के नाम खातेदारी दर्ज थी खातेदार गंगाराम द्वारा उपरोक्त
भूमि में से 8 बीस्वा भूमि राजस्थान सरकार के नाम समर्पित की जिसकी
प्रमाणित प्रति संलग्न है। तत्पश्चात उक्त खातेदारी भूमि गंगाराम पुत्र भाकराराम
ने खरीददार दयाराम पुत्र रामकिशन 1/4, पवनी पत्नी लादुराम 1/4, भागीरथ पुत्र
आईदानराम 1/4 व रामनारायण पुत्र आईदानराम 1/4 कौम विश्नोई के नाम विक्रय
की गई जिसका राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किया गया, समर्पित भूमि
वर्तमान ने उक्त आराजी भूमि के खातेदार आपसी सहमति से समर्पित भूमि वर्तमान तरमीम
की तरमीम दुरुस्त करवाना चाहते है समर्पित भूमि की वर्तमान तरमीम को दर्शित
व प्रस्तावित तरमीम को परिशिष्ट 'अ' व 'ब' के रूप मे
किया गया है जो निम्नानुसार है।

परिशिष्ट 'अ'
वर्तमान तरमीम

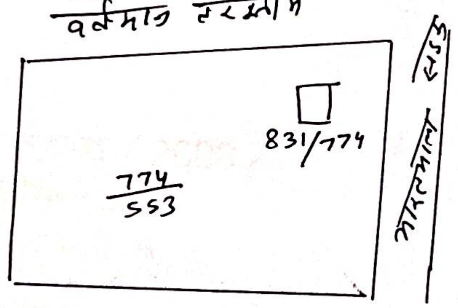

परिशिष्ट 'ब'
प्रस्तावित तरमीम

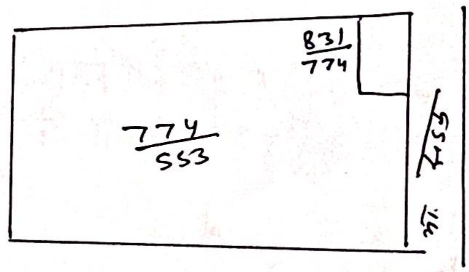

उपरोक्त परिशिष्ट 'ब' अनुसार खातेदारों ने ~~असहमति~~ सहमति प्रदान
की है। उक्त प्रस्तावित तरमीम पूर्व समर्पण आदेश/2006/2405 दिनांक 13.07.2006 के संलग्न नक्शे के अनुसार है।
मौका फर्द मौके पर बनाई जाकर उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर/अ.नि.
अंकित करवाये गये।

07/04/2026
पटवारी अरटी

07/04/26
पटवारी अरटी
भू अभिलेख निरीक्षक
वृत्त अरटी तह. सेड़वा

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

पवनी

भागीरथ

रामनारायण

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:47:43 IST
Reason: SelfAttested